निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़ 1939 (श0)
(सं0 पटना 557) पटना, बृहस्पतिवार, 29 जून 2017

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं
29 जून 2017

अधिसूचना संख्या 14/2017-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 91 दिनांक 29 जून 2017— बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करते हैं कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लोक प्राधिकारी के रूप में किए गए निम्नलिखित कार्यकलाप या संव्यवहार को न तो माल की आपूर्ति न ही सेवा की आपूर्ति माना जाएगा, अर्थात्:-

संविधान के अनुच्छेद 243छ के अधीन पंचायत को सौपे गए किसी कृत्य के संबंध में किसी कार्यकलाप के माध्यम से सेवा ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी एस टी/विविध-13/2017-14)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

29 जून 2017

एस०ओ० 92, एस०ओ० 91 दिनांक 29 जून 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी एस टी/विविध-13/2017-14)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 29th June 2017

Notification No. 14/2017-State Tax (Rate)

S.O. 91, dated 29th June 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council hereby notifies that the following activities or transactions undertaken by the Central Government or State Government or any local authority in which they are engaged as public authority, shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of service, namely:-

"Services by way of any activity in relation to a function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution."

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/vividh-13/2017-14)]
By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)557-571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in